फाईल नं0-23-9012/68/2020लोक निर्माण अनुभाग-9

संख्या-140/2021/आई0/96783/2021-लोक निर्माण अनुभाग-9

प्रेषक,

महेश कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-24 योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद ललितपुर में महरौनी-बानपुर मार्ग पर जामुनी नदी पर (पुतली घाट) पर सेतु निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।** ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-199/नदी सेतु/झांसी क्षेत्र/बी0एम0सी0/2020, दिनांक 08.07.2020 के क्रम में अवगत कराना हे कि अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ-24 योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या- 23/2018/504/23-9-2018-12नाबार्ड (सेतु)/2017, दिनांक 31.03.2018 द्वारा स्वीकृत जनपद ललितपुर के 01 ग्रामीण सेतु (जनपद ललितपुर में महरौनी-बानपुर मार्ग पर जामुनी नदी पर (पुतली घाट) पर सेतु निर्माण), लागत रू0 777.90 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में नाबार्ड के पत्र संख्या-संख्या-एन.बी.एसपीडी/43संख्या-एन.बी.एसपीडी/43/आरआईडीएफडीएफ /उत्तर प्रदेश/लागत वृद्धि, दिनांक 07 जून, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर के 01 ग्रामीण सेतु (जनपद ललितपुर में महरौनी-बानपुर मार्ग पर जामुनी नदी पर (पुतली घाट) पर सेतु निर्माण), पहुंच मार्ग की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त ऋण की धनराशि रू 0 269.82 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0 67.46 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल लागत रू0 1115.18 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति पर			पुनरीक्षित स्वीकृति पर			लागत में वृद्धि		
			कुल लागत	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश	कुल लागत	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण	राज्यांश	लागत में वृद्धि	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त ऋण	राज्यांश
1	ललितपुर	जनपद ललितपुर	777.90	613.64	164.26	1115.18	883.46	231.72	337.28	269.82	67.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		में महरौनी-बानपुर मार्ग पर जामुनी नदी पर (पुतली घाट) पर सेतु निर्माण, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य सहित									

1- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।

2- उक्त सेतु के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

3- उक्त सेतु के संबंध में शासनादेश संख्या23/2018/504/23-9-2018-12नाबार्ड (सेतु)/2017, दिनांक 31.03.2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1003-दस-2021-2022, दिनांक 09 सितम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय

(महेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु)/ वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) ।
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
12- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।